

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
गोरखपुर इकाई : गोरखपुर - 273007
दूर भाष: 0551-2261742 / 2261763

इमारती लकड़ी की बिक्री सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, गोरखपुर इकाई के सिविल ऑफिस परिसर में स्थित सूखे इमारती लकड़ी सागौन के 803 बोटों, यूकेलिप्टस के 207 बोटों एवं षीशम के 30 बोटों की बिक्री के लिए खुली बोली दिनांक 27-12-2023 को 11.00 बजे प्रातः की जाएगी, नियम एवं शर्तें संलग्न हैं ।

प्रशासन
एफ0 सी0 आई0 एल0, गोरखपुर

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
गोरखपुर इकाई : सम्पदा विभाग

पत्रांक : जी०पी०/स्टेट/

दिनांक : 03.12.2023

इमारती लकड़ी की खुली बोली द्वारा बिक्री हेतु शर्तें

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, गोरखपुर इकाई के परिसर में स्थित सूखे इमारती लकड़ी सागौन के 803 बोटों, यूकेलिप्टस के 207 बोटों एवं शीशम के 30 बोटों की बिक्री के लिए खुली बोली दिनांक 27-12-2023 को 11.00 बजे प्रातः की जाएगी, इच्छुक व्यक्ति इस खुली बोली में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुए भाग ले सकते हैं:-

- 1-बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को रु० 50,000/- जमानत के रूप में नीलामी समिति के पास अग्रिम जमा करना होगा जो बोली समाप्ति के उपरान्त असफल क्रेता को तत्काल एवं सफल क्रेता को कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वापस किया जायेगा।
- 2-नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति बिक्री हेतु रखी हुयी लकड़ी का निरीक्षण सिविल आफिस परिसर में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 1 बजे अपराह्न के बीच में कर सकते हैं।
- 3-"जैसा है, जहाँ है" के आधार पर नीलामी दि० 27-12-2023 को दिन में 11.00 बजे प्रातः नीलामी समिति के समक्ष होगी।
- 4-अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही लकड़ी दी जायेगी।
- 5-लकड़ी का पूरा मूल्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा दि० 02-01-2024 को 04.00 बजे अपराह्न तक हमारे लेखा विभाग में जमा करना होगा, पूरा मूल्य जमा न करने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6-नीलामी के पश्चात लकड़ी की निकासी 30 दिन तक वैध होगी। 30 दिन के अन्दर लकड़ी की निकासी नहीं करने पर रूपया 1000/- प्रति दिन की दर से ग्राउन्ड चार्ज देना होगा।
- 7-नीलामी के उपरान्त लकड़ी ले जाने हेतु वन विभाग से आवश्यक आदेश क्रेता को स्वयं लाना होगा।
- 8-सभी आवश्यक शुल्क/कर क्रेता द्वारा देय होगा।
- 9-सफल खरीददार को लकड़ी के परिवहन में एफ० सी० आई० एल० कोई मदद नहीं करेगा।
- 10-फर्टिलाइजर प्रबन्धन को नीलामी को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रशासन

एफ० सी० आई० एल०, गोरखपुर